न्यायालय कलेक्टर, जिला विदिशा (मध्यप्रदेश)

प्र.क्र. 0006/अ-19(3)/2021-22

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भवन
विदिशा
—————— आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन,(राजस्व विभाग)
—————— अनावेदक

:: आदेश ::

(दिनांक 2/08/2021 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेमार्ग विदिशा ने पत्र क्र. 1776/त.शा./मार्ग/2020-21/एन.डी.बी. दिनांक 06.06.2020 एवं क्र. 1819 दिनांक 02.06.2020, क्र. 1924-25 दिनांक 11.06.2021 के द्वारा ग्राम लौहरा से झिरिया मंदिर मार्ग निर्माण/उन्नयन मुख्य जिला मार्ग का पुर्ननिर्माण/उन्नयनीकरण कार्य में लगभग 2.28 हे. वन भूमि प्रभावित होने से उक्त भूमि के स्थान पर वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मण्डल विदिशा द्वारा पत्र क्र. 1577 दिनांक 21.05.2020 द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु 2.28 हे. गैर वन भूमि चाहे जाने पर वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल विदिशा को वांछित प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया, .जिस पर तहसीलदार ग्यारसपुर द्वारा विधिवत जॉच कार्यवाही उपरांत प्रकरण उपखण्ड अधिकारी ग्यारसपुर के माध्यम से इस न्यायालय को उपलब्ध कराया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

तहसीलदार ग्यारसपुर द्वारा संस्थित प्र.क्र. 02/अ-19(1)/2021-22 अनुसार प्रकरण मे दिनांक 26.08.2020 को इश्तहार का प्रकाशन कराया गया नियत दिनांक 11.09.2020 तक कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। प्रकरण में सरपंच/सचिव ग्राम पचायत कोलुआ जागीर जनपद पंचायत ग्यारसपुर द्वारा प्रस्ताव/ठहराव क्र. 10 दिनांक 27.08.2020 प्रस्तुत कर वन विभाग को वांछित भूमि दिये जाने मे कोई आपत्ति न होना उल्लेखित किया गया। प्रकरण मे हल्का पटवारी से मौका स्थल जॉच कराई गई जिसमे ग्राम लोहर्रा से झिरिया मंदिर तक मार्ग के पुर्ननिर्माण/उन्नयनीकरण कार्य मे वन भूमि का रकबा 2.280 हे. प्रभावित होने से वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के तहत गैर वन भूमि का प्रस्ताव चाहा गया है, जिसके संबंध मे ग्राम दौलतपुर प.ह.नं. 28 स्थित भूमि सर्वे क्र. 62/2 रकबा 2.000 हे.नोईयत चारागाह सम्पूर्ण एवं सर्वे क्र. 62/3 रकबा 2.000 हे. नोईयत चारागाह मे से 0.280 हे. वन विभाग को दिया जाना उचित होना एवं ग्राम मे शामिल जोत क. रकबा 146.318 हे., चरनोई का रकबा 96.485 हे व उक्त भूमि वन विभाग को देने के पश्चात ग्राम मे चरनोई भूमि का 2 प्रतिशत से अधिक बचना उल्लेखित किया गया। उक्त रकबे का सीमाकन कार्य वन विभाग की संयुक्त टीम की उपस्थिति मे दिनांक 17.06.2021 को मौके पर जाकर किया गया एवं सीमाये मौके पर बताकर कब्जा सुपुर्द किया गया, उक्त सर्वे नम्बर की भूमि पर मौके पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण/विवाद नही होना उल्लेखित कर रिपोर्ट मय अक्श, खसरा, पचमाना सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर तहसीलदार ग्यारसपुर द्वारा ग्राम लोहर्रा से झिरिया मंदिर तक मार्ग निर्माण मे प्रभावित हो रही वनभूमि कम्पार्टमेंट न. RF-86, RF.87 की 2.280 हे. भूमि बदले ग्राम दौलतपुर प.ह.न. 28 स्थित भूमि सर्वे क्र. 62/2 रकबा 2.000 हे., एवं सर्वे क्र. 62/3 रकबा 2.000 हे. नोईयत चारागाह मे से 0.280 हे. कुल-2.280 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-4 क्र.1 की कण्डिका-36 एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्रादेश क्र. एफ 6-7/2013/सात/2 बी दिनांक 13.02.2013 के तहत वन विभाग को दिये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी ग्यारसपुर को प्रेषित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ग्यारसपुर द्वारा तहसीलदार से प्राप्त प्रकरण पर प्र.क्र. 06/अ–19/2020–21 पंजीबद्ध कर तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होकर अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को उपलब्ध कराया गया।

तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी ग्यारसपुर के प्रतिवेदन/प्रकरण के आधार पर ग्राम लौहरा से झिरिया मंदिर मार्ग निर्माण/उन्नयन मुख्य जिला मार्ग का पुर्ननिर्माण/उन्नयनीकरण कार्य में प्रभावित हो रही वनभूमि कम्पार्टमेंट नं. RF–86, RF.87 की 2.280 है. भूमि के स्थान पर ग्राम दौलतपुर प.ह.नं. 26 स्थित भूमि सर्वे क्र. 62/2 रकबा 2.000 है. नोईयत चारागाह, एवं सर्वे क्र. 62/3 रकबा 2.000 है. नोईयत चारागाह में से 0.280 है. कुल–2.280 है. भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा–237 के तहत नोईयत परिवर्तन कर व राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–4 क्र.1 की कण्डिका–36 एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्रादेश क्र. एफ 6–7/2013/सात/2 बी दिनांक 13.02.2013 के तहत वन विभाग को हस्तान्तरित की जाती है। आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि की जावे।

(डॉ पंकज जैन)
कलेक्टर
जिला–विदिशा

पृ.क्र./क्यू/रीडर/2021/ 7097 विदिशा दिनांक 2 /08/2021

03.08.2021

प्रतिलिपि :–

01. सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.भोपाल।
03. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

04. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग विदिशा।
05. वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मण्डल, विदिशा।
06. उपखण्ड अधिकारी ग्यारसपुर।
07. तहसीलदार ग्यारसपुर।

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला–विदिशा
कलेक्टर
जिला – विदिशा (म.प्र.)